फर्द अहकाम

रमेश बनाम छीतर वगै0

र्थना पत्र संख्या: 219/2018

त ख्या	दिनांक	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	29.04.2024	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। बहस अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र सुनी गई। बहस उभयपक्ष अधिवक्ता व पत्रावली का मय दस्तावेज अवलोकन करने पर पाया कि इस न्यायालय द्वारा जारी स्थगन आदेश दिनांक 19.04.2021 द्वारा अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया गया था। अप्रार्थी की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित किया गया है कि प्रार्थी का केवल खसरा नम्बर 94 पर ही कब्जा है शेष खसरा नम्बर मिन अप्रार्थी का कब्जा है। अतः अप्रार्थीगण को मूल वाद के निस्तारण तक जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वाके ग्राम महापुरा, पटवार हल्का महापुरा, भू. अ क्षेत्र भांकरोटा स्थित खसरा नम्बर 94 रकबा .2100 हैक्टेयर की मौके व राजस्व रिकार्ड की यथास्थित बनाये रखे तथा खसरा नम्बर 88, 89, 90, 92 व 95 के संबंध में इस न्यायालय द्वारा पूर्व में जारी स्थगन आदेश दिनांक 19.04.2021 को निष्प्रभावी किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर) Signature Not Verified Digitally signed by Himmat Singh Date: 2024.09.06 13:19:30 IST Reason: SelfAttested	